

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बरही (हजारीबाग)






अमृता देवी

वाद संख्या 39 / 17

—बनाम—

केस का प्रकार 144 दंड प्रो सं०

केलाश सिंह वर्मा

तारीख	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति
08.12.2017	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, हजारीबाग के पत्रांक 1636/विधि दिनांक 31.10.2017 तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के पत्रांक 921 दिनांक 30.10.2017 में उल्लेखित है कि हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर में दिनांक 09.12.2017 को National Lok Adalat का आयोजन किया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त वर्णित पत्र के आलोक में इस वाद को निस्तारण हेतु National Lok Adalat, Hazaribagh भेजा जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।</p> <p> अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।</p>	
09.12.2017	<p>अभिलेख नेशनल लोक अदालत में उपस्थापित।</p> <p>पक्षकारों के लगातार अनुपस्थिति के कारण बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।</p> <p> MLA I</p> <p> MLA II</p> <p></p>	